

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सरदारशहर आगार।

जीवीएम रोड, पुलिस थाने के सामने, सरदारशहर-331403

फोन नं०- 01564-220014 ईमेल आईडी -rsrtc.cmsds@yahoo.com

क्रमांक :-वित्त/2025/होर्डिंग्स/

दिनांक:-

होर्डिंग्स - टैण्डर - निविदा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सरदारशहर आगार के अधीन केन्द्रीय बस स्टैण्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने हेतु निगम की शर्तों पर लाइसेन्सी/ठेकेदार नियुक्त किये जाने हेतु दिनांक 28.11.2025 को 14:00 बजे तक बंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 28.11.2025 को समय 15:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। अर्पण तथा बिना धरोहर राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

क0स0	स्थान का नाम	बस स्टैण्ड	होर्डिंग्स 30X30	होर्डिंग्स 15X10	होर्डिंग्स 10X10
1.	सरदारशहर	केन्द्रीय बस स्टैण्ड	01	01	01

निविदा की शर्तें निम्न होगी :-

निविदा प्रपत्र राशि नकद रु० 236/- (जी०एस०टी० सहित) जमा करवाकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालय समय में दिनांक 20.11.2025 से 28.11.2025 तक दोपहर 13:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं :-

- निविदा धरोहर राशि बस स्टैण्ड सरदारशहर के लिए रु० 10000/- जो कि नकद/चैक/डी०डी० से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सरदारशहर आगार के नाम भुगतान योग्य हो।
 - प्रथमतः तीन वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जाना प्रस्तावित है तत्पश्चात निगम नियमानुसार अनुबन्ध नवीनीकरण अथवा समाप्ति सम्बन्धि कार्यवाही की जावेगी।
 - निविदा स्वीकृत होने के बाद स्वीकृत लाइसेन्स फीस राशि 07 दिवस में निगम कोष में जमा करवानी होगी।
 - निविदा स्वीकृत होने पर एक मुश्त राशि जमा कराने के पश्चात निविदादाताओं को रु० 500/- के स्टॉम्प पर निगम से अनुबन्ध करना होगा तत्पश्चात निगम की अनुमति से कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
 - आम चुनाव लोकसभा/विधानसभा के दौरान प्रचार-प्रसार होर्डिंग्स बैनर आदि पर निगम का पूर्ण नियंत्रण होगा।
 - निविदादाता द्वारा अपने लाइसेन्स का किसी दूसरे को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
 - राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/उच्च न्यायालय/चुनाव आयोग या जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त आदेश अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण से उक्त बोर्ड हटवाये या उतरवाये जाते हैं तो इस कार्यालय द्वारा ठेकेदार को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।
 - यह कार्यालय राजकीय हित/निगम हित में उक्त अनुबन्ध समय से पूर्व समाप्त कर सकता है। निविदादाताओं का इस हेतु अनुपातिक राशि लौटाई जावेगी इस सम्बन्ध में लाइसेन्सी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
 - महिला अपशिष्ट रूपेण प्रतिशोध अधिनियम 1986 का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा।
- किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

मुख्य प्रबन्धक,

सरदारशहर आगार।

दिनांक-20/11/25

क्रमांक-वित्त/निविदा/2025/3376

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान उप महा प्रबन्धक(आई०टी०) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
- श्रीमान कार्यकारी प्रबन्धक(जनसम्पर्क/विज्ञापन), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का श्रम करावें व प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।
- प्रबन्धक(वित्त/यातायात/प्रशासन/संचालन)/कैशियर(भुगतान), राजस्थान परिवहन निगम, सरदारशहर आगार।
- नोटिस बोर्ड(केन्द्रीय बस स्टैण्ड/कार्यशाला/नगरपालिका/रेलवे स्टेशन/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय), राजस्थान परिवहन निगम, सरदारशहर आगार।
- आदेश/निजी पत्रावली।

मुख्य प्रबन्धक,

सरदारशहर आगार।